

अध्याय XI : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सत्यवती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

11.1 लोक लेखा समिति को तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी में लोक लेखा समिति को गलत सूचना दी कि सत्यवती महाविद्यालय ने भविष्य निधियों पर ब्याज के रूप में अंशदाताओं को किए गए ₹83.31 लाख के अधिक भुगतान की वसूली की थी।

सीएजी के 2015 के प्रतिवेदन सं.18 के पैरा 9.3 में सत्यवती महाविद्यालय (महाविद्यालय), नई दिल्ली (दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन) के अपने कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि/अंशदान भविष्य निधि शेषों के प्रति 2008 से 2011 तक की अवधि के लिए कुल ₹83.30 लाख का अधिक ब्याज अदा करने के संबंध में उल्लेख किया गया था। उत्तर में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमओएचआरडी) ने अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) (मई 2017) में लोक लेखा समिति (पीएसी) को बताया कि महाविद्यालय के स्थानापन्न प्राचार्य ने सूचित¹ किया था कि ₹83.31 लाख² की राशि की वसूली सम्बंधित कर्मचारियों से की गई थी।

तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की अनुवर्ती जांच में पाया गया कि महाविद्यालय ने भविष्य निधि (पीएफ) शेषों के निवेश से प्राप्त अधिशेष आय से ₹83.31 लाख की वसूली की थी न कि उन कर्मचारियों से जिन्होंने अधिक ब्याज प्राप्त किया था। इस प्रकार, पीएसी को झूठी सूचना दी गई थी कि अधिक ब्याज को कर्मचारियों से वसूला गया था।

महाविद्यालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2019)।

मामला एमओएचआरडी को प्रेषित किया गया था (जुलाई 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

¹ पत्र सं. एससी/प्रशा./64/2016 दिनांक 21 दिसम्बर 2016

² तथापि, एमओएचआरडी का उत्तर कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित ब्याज पर उनके द्वारा देय अतिरिक्त ब्याज के मुद्दे को संबोधित नहीं करता था।

11.2 सेवा-कर का अनियमित भुगतान

शिक्षण संस्थानों ने बाहरी ठेका (आउटसोर्स) सेवाओं (गृह व्यवस्था एवं सुरक्षा) पर कुल ₹5.34 करोड़ के सेवा-कर का भुगतान किया, जबकि इन सेवाओं को ऐसे कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार ने शिक्षण संस्थान को अथवा उनके द्वारा प्रदान की गई कुछ सेवाओं को 1 जुलाई 2012 से सेवा कर से छूट प्रदान की (अधिसूचना सं. 25/2012-सेवा कर दिनांक 20 जून 2012)। अधिसूचना में स्पष्ट किया कि छूट प्राप्त सेवाओं में अन्य बातों के साथ कोई भी सेवाएं जो शिक्षण संस्थान आमतौर पर स्वयं ही प्रदान करते हैं परन्तु उसे किसी भी अन्य व्यक्ति से आउटसोर्स की गई सेवा के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, शामिल है। वित्त मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि नकारात्मक सूची में आने के कारण यह स्पष्ट था कि शिक्षा से संबंधित सभी सेवाओं को सेवा कर से छूट प्राप्त है (परिपत्र सं.172/7/2013-एसटी दिनांक 19 सितंबर 2013)। इन सेवाओं में छात्रावास, निर्माण, गृहव्यवस्था, सुरक्षा सेवाएं, कैंटीन आदि भी शामिल है।

बाद में, पूर्व विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा इसके बराबर तक शिक्षा के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली छूट को सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2017 से वापस ले लिया गया था (अधिसूचना सं.10/2017-सेवा कर दिनांक 8 मार्च 2017)।

तीन मंत्रालयों³ के अधीन शिक्षण संस्थानों के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 10 संस्थानों⁴ ने सुरक्षा एवं गृहव्यवस्था जैसी विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदाता को जुलाई 2012 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान कुल ₹5.34 करोड़ (अनुलग्नक 11.1) के सेवा-कर का भुगतान

³ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय।

⁴ (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र, (iii) डा.बी.आर.अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर (iv) मौलाना आजाद राष्ट्रीय सिद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएएनआईटी), भोपाल, (v) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चैन्नई (vi) तामिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर, (vii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडब्ल्यू), नई दिल्ली, (viii) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, (ix) भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलूरू तथा (x) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक सूरथकल।

किया जबकि पूर्वोक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत इन सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी। इस प्रकार, इन संस्थानों द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं पर ₹5.34 करोड़ के सेवा कर का भुगतान अनियमित था।

इन संस्थानों द्वारा सेवा कर के अनियमित भुगतानों का मामला मई 2019 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफडब्ल्यू), आयुष मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमओएचआरडी) एवं संबंधित संस्थानों को सूचित किया गया था।

मई 2019 में, एनआईएचएफडब्ल्यू ने बताया कि सेवा कर की वापसी प्राप्त नहीं की जा सकती है क्योंकि दावा करने की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। एमएचएफडब्ल्यू ने आगे बताया (दिसम्बर 2019) कि एनआईएचएफडब्ल्यू के अनुरोध पर ₹12.71 लाख के सेवा-कर को एक आउटसोर्स अभिकरण द्वारा वापस कर दिया गया है।

एमओएचआरडी ने बताया (दिसम्बर 2019) कि एनआईटी, हमीरपुर, एनआईटी, जालंधर तथा एमएएनआईटी, भोपाल ने सेवा कर की वापसी के मामले को भुगतान से एक वर्ष से अधिक समय के अंतराल के पश्चात् सेवा कर विभाग के साथ उठाया था और इस प्रकार यह वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अनुसार समय वर्जित हो गया। एमओएचआरडी ने आगे बताया कि एनआईटी सूरथकल ने जून 2012 अधिसूचना में स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण/अनुदेश की अनुपलब्धता होने के कारण सेवा कर का भुगतान किया था। हालांकि, संशोधन के उपरांत, संस्थान ने ठेकेदार को इसके बिलों में सेवा-कर नहीं लगाने हेतु सूचित किया। तदनुसार, नवंबर 2014 से दिसम्बर 2014 तक भुगतान किए गए सेवा कर की राशि को सेवा प्रदाता द्वारा लौटाया गया था। जुलाई 2014 से अक्टूबर 2014 तक की कर राशि को वसूला नहीं जा सका क्योंकि उसे ठेकेदार द्वारा सेवा कर विभाग को प्रेषित किया जा चुका था।

एनआईटी सूरथकल के संदर्भ में एमओएचआरडी मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक कानून/नियमों पर स्पष्टीकरण मात्र से उन कानून/नियमों की प्रकृति को नहीं बदला जा सकता तथा शैक्षणिक संस्थानों को सहायक शिक्षा सेवाओं पर सेवा कर में छूट जून 2012 से उपलब्ध थी।

एनआईटी कुरुक्षेत्र ने बताया (जून 2019) कि सेवा कर की वापसी हेतु मामले को अम्बाला तथा नई दिल्ली में सेवा कर विभाग के साथ उठाया गया था परंतु दावे को समयवर्जित होने से अस्वीकार कर दिया गया था।

राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान ने बताया (मई 2019) कि उसने मामले को संबंधित विभाग के साथ उठाया है तथा परिणाम से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

अन्य स्वायत्त निकायों के संबंध में मंत्रालयों से उत्तर दिसम्बर 2019 तक प्रतीक्षित थे।

उच्चतर शिक्षा विभाग

11.3 संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का आहरण तथा निपटान करने पर आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन

आंतरिक नियंत्रणों की विफलता के कारण वर्ष 2006-07 से 2017-18 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर ₹1.86 करोड़ आहरित अग्रिम का निपटान नहीं हुआ।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर (एक केन्द्रीय सरकारी संस्थान) को आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करके सरकारी धन से अग्रिम का आहरण करना था जिसका बाद में वर्तमान नियमों के अनुसार निपटान किए जाने की आवश्यकता थी। ऐसे अग्रिमों को प्रदान और निपटान करने के विनियमन हेतु आंतरिक नियंत्रण तंत्र निम्न प्रकार है:

- (ए) कार्यालय अध्यक्ष एक सरकारी कर्मचारी को कार्यालय के प्रबंधन हेतु आवश्यक माल अथवा सेवाओं की खरीद अथवा अन्य किसी विशेष प्रायोजन के लिए अग्रिम⁵ संस्वीकृत करेगा। ऐसी निधियों का निर्धारित अवधि के भीतर, परंतु जो वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के बाद नहीं, विशिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग को सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
- (बी) समायोजन बिल⁶, शेष सहित यदि कोई हो, सरकारी कर्मचारी द्वारा अग्रिम के आहरण के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी विफलता पर अग्रिम अथवा शेष की वसूली उसके अगले वेतनों से की जाएगी।
- (सी) आकस्मिक बिलों के प्रति आहरित अग्रिमों के सामयिक समायोजन का फार्म जीएआर 30 के माध्यम से मॉनीटर किया जाना है, जिसका

⁵ जीएफआर 2005, नियम 292 (10(i) एवं (iv))

⁶ जीएफआर 2005, नियम 292

कार्यालय द्वारा अनुरक्षण किया जाना है। कार्यालय अध्यक्ष अग्रिम की सामयिक वसूली या समायोजन हेतु उत्तरदायी होंगे।

- (डी) कार्यालय अध्यक्ष⁷ को सरकारी कर्मचारी, जिसकी सेवानिवृत्ति होने वाली है, द्वारा देय सरकारी बकायों का पता लगाना तथा आकलन करना है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक बकाया कोई भी राशि उनको देय राशि के प्रति समायोजित की जाएगी।
- (ई) बकाया देयताओं⁸ का पता लगाने और आकलन करने का उस समय कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए जब सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पूर्व पेंशन दस्तावेज तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

बाह्य लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, क्रमिक निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित किया गया था कि ये नियंत्रण प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं और आकस्मिक बिलों का लंबे समय तक निपटान नहीं किया जा रहा है (अनुलग्नक 11.2)।

प्रासंगिक अभिलेखों (फरवरी 2017, नवंबर 2017) की लेखापरीक्षा जांच में यह भी पता चला है कि 2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए निम्नलिखित बिल उन कर्मचारियों के संबंध में अनिश्चित अग्रिमों का हिस्सा थे जो सेवानिवृत्त/मृत हो चुके हैं। इसलिए इन बिलों की वसूली संदिग्ध है। विवरण तालिका संख्या 1 में दिया गया है।

तालिका सं. 1: एसी बिल प्रस्तुतीकरण करने में देरी

(राशि ₹ में)

वर्ष	आहरित एसी बलों की संख्या	आग्रिम राशि	जमा/निपटान किए बिल	निपटान राशि (₹)	लंबित बिल	बकाया राशि (₹)	लम्बित रहने की अवधि
2006-07 से 2007-08	14	1000000	2	150000	12	850000	>10 वर्ष
2008-09 से 2013-14	279	24030476	151	14871476	128	9159000	> 5 वर्ष
2014-15	134	8540734	122	7703734	12	837000	> 4 वर्ष
2015-16	165	20196578	120	13188428	45	7008150	>3 वर्ष
2016-17	80	12239606	78	12064606	2	175000	>2 वर्ष
2017-18	71	11530533	69	10985533	2	545000	>1 वर्ष
कुल	743	77537927	542	58963777	201	18574150	

⁷ सीसीएस पेंशन नियम, नियम 71

⁸ सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 64 के अधीन, भारत सरकार का निर्णय (2)

सीआईआईएल ने स्वीकार किया कि वित्तीय नियामक उपायों में अक्षमताएं हैं क्योंकि अप्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर्मचारियों की अनुपस्थिति में तैनात किया गया था।

मंत्रालय, एसी बिलों के समय पर समायोजन की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है और आगे, अन्य अग्रिमों को पिछले बिल के निपटान तक प्रदान नहीं किया जाये।

दिसम्बर 2019 तक मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है।

11.4 मेसर्स ईडीसीआईएल से अग्रिम की वसूली/समायोजन ₹ 4.32 करोड़

अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ने मेसर्स ईडीसीआईएल को ₹4.32 करोड़ की राशि का अग्रिम प्रदान किया तथा ₹3.98 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा।

(ए) सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका प्रावधान करती है कि विशिष्ट तथा पूंजी-गहन निर्माण कार्यों के संबंध में संग्रहण अग्रिम प्रदान किया जा सकता है। नियम पुस्तिका के नियम 31.6 के अनुसार,

- i. संग्रहण अग्रिम 10 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर निविदा राशि के 10 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए तथा ठेकेदार द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर संविदा की शर्तों के अनुसार संस्वीकृत किया जाना चाहिए।
- ii. अग्रिम को दो किशतों से कम में जारी नहीं किया जाना चाहिए।
- iii. संग्रहण अग्रिम जारी की गई राशि को कवर करने तथा अग्रिम की वसूली तक की अवधि वाले बैंक गारंटी बाण्ड की प्राप्ति के पश्चात ही जारी किया जाएगा।
- iv. वसूली 10 प्रतिशत कार्य के समाप्त होने के पश्चात ही प्रारम्भ की जानी चाहिए तथा ब्याज सहित पूर्ण राशि की वसूली 80 प्रतिशत कार्य के समाप्त होने के समय तक की जाएगी।

अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (संस्थान), ग्वालियर (म.प्र.) ने चरण-11 निर्माण कार्य⁹ हेतु व्यवसायिक सेवाएं

⁹ दूसरे एवं तीसरे बाल छात्रावास का निर्माण, स्टाफ क्वार्टरों एवं गेस्ट हाउस का निर्माण।

प्रदान करने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में एजूकेशनल कंसलटेंट इण्डिया लिमिटेड (ईडीसीआईएल), नई दिल्ली (भारत सरकार का एक उपक्रम) को एक अनुबंध (अक्टूबर 2003) के माध्यम से नियुक्त किया जिसने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान किया:

- (i) संस्थान पैरा 5.2.1 के तहत पीएमसी को प्रारम्भिक परियोजना लागत/बजट लागत का 20 प्रतिशत की सीमा तक संग्रहण अग्रिम (एमए) प्रदान करेगा, तथा
- (ii) पैरा 5.2.5 के अनुसार एमए का चालू बिल के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर पर निर्माण अभिकरण के बिल के भुगतान के प्रति समायोजन किया जाएगा तथा निर्माण अभिकरण के अंतिम बिल में शेष राशि का पूर्ण रूप से समायोजन किया जाएगा।

तदनुसार संस्थान ने एमए के रूप में पीएमसी को ₹4.32 करोड़¹⁰ (₹21.60 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत का 20 प्रतिशत) अदा किया। बाद में, ₹16.88 करोड़ (फरवरी 2005) पर निविदा लागत के निर्धारण के पश्चात एमए की राशि को ₹3.38 करोड़ (₹16.88 करोड़ का 20 प्रतिशत) के रूप में संशोधित किया गया था तथा इसलिए ₹94 लाख (₹4.32 करोड़-₹3.38 करोड़) के अधिक एमए की पीएमसी के आरए बिलों से वसूली की गई थी।

एमए की वसूली 10 प्रतिशत के साधारण ब्याज सहित ठेकेदार के आरए बिल से की गई थी। ₹3.38 करोड़ में से मार्च 2012 तक ₹2.17 करोड़ (साधारण ब्याज सहित) समायोजित किया गया, उसके बाद कोई वसूली नहीं की गई थी। असमयोजित एमए पर ब्याज बढ़ा तथा ₹3.98 करोड़¹¹ (ब्याज सहित) की शेष एमए राशि मार्च 2019 तक असमयोजित थी। कार्य को समाप्त तथा बिलिंग को अधिकृत बताया गया था परंतु अंतिम आरए बिल/निर्माण कार्यों का समापन अभी भी प्रतीक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संग्रहण अग्रिम के भुगतान हेतु ईडीसीआईएल के साथ अनुबंध वर्तमान सीपीडब्ल्यूडी नियमों के उल्लंघन में था जैसा कि नीचे वर्णित है:-

¹⁰ दिसम्बर 2003 में ₹ एक करोड़ तथा अक्टूबर 2004 में ₹3.32 करोड़।

¹¹ ₹3.98 करोड़=मूल एमए ₹1.43 करोड़ + ₹2.55 करोड़ ब्याज।

- i. एमए उस निकाय अथवा व्यक्ति को प्रदान किया जाना है जो विशिष्ट तथा पूंजी-गहन प्रकृति के निर्माण कार्यों का निष्पादन कर रहा है। एक परियोजना परामर्शदाता को कार्य के निष्पादन हेतु सामग्रियों तथा मशीनों को संग्रहित करना अपेक्षित नहीं था।
- ii. संग्रहण अग्रिम के रूप में 10 प्रतिशत की अदायगी सीमा का अनुपालन नहीं किया गया था तथा निविदा राशि का 20 प्रतिशत अदा किया गया था।
- iii. संवितरित संग्रहण अग्रिम की राशि हेतु कोई बैंक गारंटी प्राप्त नहीं की गई थी।
- iv. वसूली भी विद्यमान नियमों के विपरीत थी। प्रति आरए बिल की 10 प्रतिशत की वसूली का परिणाम भी निविदा राशि की केवल 10 प्रतिशत की वसूली में होगा तथा शेष 10 प्रतिशत एमए कार्य की समाप्ति तक रहेगा और समायोजनों के सिवाए ठेकेदार को बिना किसी भुगतान के इस वसूली के तौर-तरीके स्पष्ट नहीं है।

संस्थान ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2018) कि पीएमसी को अनुबंध की शर्तों के अनुसार एमए प्रदान किया गया था तथा सीपीडब्ल्यूडी मापदण्ड लागू नहीं थे। असमायोजित राशि के संबंध में संस्थान ने बताया कि मामले को मेसर्स ईडीसीआईएल के साथ उठाया गया है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि (i) संग्रहण अग्रिम ठेकेदार को कार्य शुरू करने हेतु अपने संसाधनों को जुटाने के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है तथा पीएमसी को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिए एमए देय नहीं था, (ii) संविदा की शर्तें शेष 10 प्रतिशत की वसूली के संबंध में स्पष्ट नहीं थी तथा समायोजन धन वापसी की कार्रवाई केवल लेखापरीक्षा (2015) द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात ही की गई थी परंतु अब तक कोई धन वापसी/वसूली नहीं की गई है, (iii) अनुबंध के पैरा 2.2.8 में उल्लेखित किया गया है कि कार्य के प्रयोजन के लिए प्रलेखन सीपीडब्ल्यूडी मापदण्डों के अनुरूप किया जाएगा। सीपीडब्ल्यूए संहिता भारत सरकार के संरक्षण के अधीन कार्य कर रहे सभी निकायों पर लागू है जब तक कि वैकल्पिक रूप से विनिर्दिष्ट न किया गया हो। इस प्रकार सीपीडब्ल्यूडी के मानदण्डों के उल्लंघन में दोषपूर्ण अनुबंध के निष्पादन के माध्यम से पीएमसी को अनुचित लाभ प्रदान किया गया और 31

मार्च 2019 को मैसर्स ईडीसीआईएल से ब्याज सहित ₹3.98 करोड़ की वसूली लम्बित थी।

(बी) संस्थान ने मैसर्स ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमि. के साथ (04 सितम्बर 2012) संस्थान के लिए आवश्यक उपकरण/मर्दों¹² के प्रापण हेतु परामर्श के संबंध में तीन वर्षों के लिए (31 मार्च 2015 तक) दूसरी संविदा निष्पादित की। लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध में अग्रिम के भुगतान हेतु ऐसी किसी खण्ड के अभाव के बावजूद ₹1.23 करोड़ अग्रिम के रूप में अदा किये गये थे। संविदा के अंत तक ₹1.80 करोड़ (अग्रिम के रूप में ₹1.23 करोड़ की राशि सहित) परामर्शदाता को जारी किए गए थे तथा इस अवधि के दौरान केवल ₹1.46 करोड़ का वास्तविक प्रापण के प्रति समायोजन किया गया था। इस प्रकार, ₹33.69 लाख की शेष राशि मार्च 2015 (अनुबंध की समाप्ति) तक समायोजन हेतु लम्बित थी।

संस्थान ने उत्तर दिया (जुलाई 2019) कि ईडीसीआईएल को ₹33.69 लाख की शेष राशि वापिस करने का अनुरोध किया गया है।

तथ्य यह है कि संस्थान ने असमायोजित राशि की वापसी हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी तथा लेखापरीक्षा (जुलाई 2019) द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात ही मामले को उठाया तथा धन वापसी अभी भी नहीं की गई है।

ऊपर ए तथा बी दर्शाते हैं कि संस्थान के वित्तीय हित की सुरक्षा किए बिना मैसर्स ईडीसीआईएल को अनुचित लाभ प्रदान किया जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2019 तक क्रमशः ₹3.98 करोड़ तथा ₹0.34 करोड़ की वसूली लम्बित है।

बड़े खाते में डालने के मामले

जीएफआर 2005 के नियम 12 के अनुसार 'सरकार को देय राशि को बिना पर्याप्त कारणों के बकाया नहीं छोड़ा जाएगा। जहां ऐसी राशियां अवसूलनीय प्रतीत होती हैं, तो उनके समायोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त किए जाएंगे।' इसके अतिरिक्त, संस्थान के प्रथम कानून (दिसम्बर 2016) का पैरा 16(5) अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करता है कि निदेशक बोर्ड द्वारा इसी प्रयोजन हेतु नियुक्त स्थायी समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट वित्तीय सीमा तक अवसूलनीय हानियों को बड़े खाते में डाल सकता है।

₹23.64 लाख (₹19.85 लाख + ₹3.79 लाख) की राशि, जो दो अलग मामलों में वसूलनीय थी जैसा नीचे विवरण दिया गया, को वर्ष 2009-10 से 2014-15

¹² एयर कंडीशनर, कॉन्फ्रेंस टेबल, कुर्सियां आदि।

तक के लेखाओं में वसूली हेतु बकाया दर्शाया गया था। तथापि, इस राशि को, सक्षम प्राधिकारी से बट्टे खाते में डालने के आदेश प्राप्त किए बिना वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं में अनियमित रूप से समायोजन किया गया था:

(i) संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की स्टाफ विकास कार्यक्रम (एसडीपी) योजना के अंतर्गत अध्यापकों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना अपेक्षित था। संस्थान द्वारा जुलाई 2008 से दिसम्बर 2009 के दौरान प्रदान प्रशिक्षणों के कारण किए गए ₹23.79 लाख के व्यय में से ₹19.85 लाख की राशि बकाया थी जिसकी एआईसीटीई द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी थी जिसे 2009-10 से 2014-15 तक के वार्षिक लेखाओं में वसूलनीय रूप में दर्शाया जा रहा था।

(ii) शैक्षिक एवं अनुसंधान नेटवर्किंग (ईआरएनईटी) इंडिया, नई दिल्ली (मई 2006 तथा मई 2007) को संस्थान के परिसर में व्यापक नेटवर्क की स्थापना हेतु प्रदान की गई ₹1.56 करोड़ की अग्रिम राशि में से ईआरएनईटी द्वारा ₹1.52 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹3.79 लाख की शेष राशि को 2010-11 से 2014-15 तक के वार्षिक लेखाओं में ईआरएनईटी से वसूलनीय रूप में दर्शाया जा रहा था।

संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि ₹23.64 लाख का समायोजन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुरूप किया गया था। संस्थान के लेखाओं में समायोजन प्रविष्टियां की गई थी तथा तदनुसार वार्षिक लेखाओं में शामिल की गयी थी जो सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित तथा बीओजी द्वारा अनुमोदित थी (11 जुलाई 2016)।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बट्टे खाते में डालने के लिए बीओजी का विशिष्ट अनुमोदन नहीं लिया गया था तथा वार्षिक लेखाओं के अनुमोदन को बट्टे खाते में डालने के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त को नवम्बर 2018 तथा मई 2019 में मंत्रालय को सूचित किया गया था। जवाब अब तक प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।